

अज अदालत
फर्म अहकाम
(नियम 26)

बनाम

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार कल्याणपुर

विप्राथी
मांगीलाल पुत्र सावलराम वगैश
जाति जाट निवासी धतरवालों की ढाणी
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
मुकदमा संख्या 227/2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22-7-24	<p>प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर की ओर से प्रार्थना पत्र वारते-तरमीम दुरुस्ती करने बाबत पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम धतरवालों की ढाणी की मूल खसरा संख्या 267/164 मे से खातेदारान द्वारा रास्ता के लिए रकबा 1.00 बीघा भूमि समर्पण करवाई गई,जिसके खसरा संख्या 361/164 कायम हुई तथा उक्त समर्पण के आधार पर लटढा नक्शा में तरमीम किए जाने के वजाय विपरीत तरमीम की गई। जबकि समर्पण अनुसार ही मौके पर रास्ता चल रहा है,लेकिन गलत तरमीम होन के कारण राजस्व-रेकर्ड में भिन्नता आ रही है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में बरंग लाल दर्शित अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जावें।</p> <p>हमने प्रार्थी को सुना। प्रार्थना-पत्र पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम धतरवालो की ढाणी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की मूल खसरा संख्या 267/164 रकबा 36.00 बीघा भूमि के खातेदार मांगीलाल,वालाराम व प्रतापाराम पि.सावलाराम द्वारा रकबा 1.00 बीघा भूमि राज. सरकार के पक्ष में समर्पण करवाई गई,जो पत्रावली के संलग्न समर्पण आदेश दिनांक 09/23.6.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त समर्पण के आधार पर खसरा संख्या 361/164 रकबा 1.00</p>	




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बीधा कायम हुई। समर्पण भूमि नक्शा व वर्तमान लटका नक्शा अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि समर्पण भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत नक्शा लटका में की गई है, जो कि तरमीम दुरुस्त योग्य है। समर्पण खसरा संख्या 361/164 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। हल्का पटवारी नेवरी, भू अभिलेख निरीक्षक थोव व तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणी की है कि विवादित खसरान की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है, जिसकी दुरुस्ती की जाने की अनुशंसा की गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अवलोकन से भी स्पष्ट साबित होता है कि खसरा संख्या 361/164 की लटका नक्शा में तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है, जो दुरुस्त किए जाने से मौका एवं रिकॉर्ड स्थिति में एकरूपता आयेगी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धतरवालों की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 361/164 की विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए प्रार्थना-पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में दर्शित बरंग लाल मुताबिक तरमीम दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा